कार्यालयः जिलाधिकारी लखनऊ

संख्या– 1537/आठ अ0जि0अ0(भू0अ0) शा0सहा0परि0 लखनऊ दिनांक–04.09.2018

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–4 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली–2016 नियम 3(1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात जिला लखनऊ में ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी–फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा संचालित ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी–फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ परियोजना हेतु स्थाई रूप से आवश्यकता है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के प्राविधान के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही से पूर्व चयनित ऐजेन्सी (एस0आर0 एशिया, कारपोरेट आफिस–4 सीएस–25, अंसल प्लाजा, बैशाली, गाजियाबाद) द्वारा लोक हित में सामाजिक समाघात आकलन (Social Impact Assessment) किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

01	अपेक्षक निकाय का नाम	ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी–फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ
02	प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य	ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी–फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के विस्तार हेतु।
03	संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा।	एस0आर0 एशिया, कारपोरेट आफिस–4 सीएस–25, अंसल प्लाजा, बैशाली, गाजियाबाद।
04	संगठन का सम्पर्क विवरण।	एस0आर0 एशिया, कारपोरेट आफिस–4 सीएस–25, अंसल प्लाजा, बैशाली, गाजियाबाद।

भूमि का विवरण

01	जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)
02	लखनऊ	लखनऊ	अल्लू नगर डिगुरिया	350	0.240
03				351	0.770
04				356	0.089
05				358	1.328
06				359	0.771
07				363स	0.56935
08				364	0.379
09				365	0.126
10				366	0.721
11				372स	0.19932
12				740स	0.085
13				774	0.060

14				775	0.024
15				776	0.156
16				779 / 1358	0.431
				योग–	**5.94867(हे0)**

01– यह विश्वविद्यालय प्रदेश का एक मात्र उर्दू, अरबी, फारसी भाषा का विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2010 में उ0प्र0 सरकार द्वारा जनहित की गयी थी, के पास वर्तमान में कुल–11.118हे0 (27.51 एकड़) भूमि उपलब्ध है। शासनादेश के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना हेतु नगरीय क्षेत्र में 40.00 एकड़ भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का मानक है। निर्धारित मानक को पूर्ण करने हेतु उक्त प्रस्तावित 14.70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है।

02– प्रस्तावित विश्वविद्यालय ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी–फारसी विश्वविद्यालय ग्राम अल्लू नगर डिगुरिया परगना, तहसील व जिला लखनऊ में 14.70 एकड़ भूमि का अर्जन प्रभावित है।

03– परियोजना के संरेखण में आने वाली ग्राम सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण की कार्यवाही अलग से प्रचलित है, अवशेष भूमि अर्जन के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक समाघात आकलन हेतु चयनित ऐजेन्सी (एस0आर0 एशिया, कारपोरेट आफिस–4 सीएस–25, अंसल प्लाजा, बैशाली, गाजियाबाद) द्वारा सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना निर्धारित समय सीमा के अन्दर (टी0ओ0आर0 के अनुसार) अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

04– सामाजिक समाघात का निर्धारण अधिकतम 76 दिनों के अन्दर (अधिसूचना के तिथि से) पूर्ण कराया जाना है।

टिप्पणीः– उक्त परियोजना सम्बन्धी विस्तृत विवरण कलेक्टर (भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ) अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)शारदा सहायक परियोजना, कक्ष संख्या–40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में देखा/प्राप्त किया जा सकता है।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपर्युक्त की प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

01– अपर मुख्य सचिव, राजस्व अनुभाग–13, उ0प्र0 शासन।
02– अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–04 उ0प्र0 शासन।
03– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
04– निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
05– मण्डलायुक्त, लखनऊ।
06– स्टॉफ ऑफीसर, मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0।
07– कुल सचिव, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
08– निदेशक, एस0आर0 एशिया, कारपोरेट आफिस–4 सीएस–25, अंसल प्लाजा, बैशाली, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी,
लखनऊ।